

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना।

आदेश

बिहार सरकार के बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा महत्वाकांक्षी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम Domain Skilling योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत संस्था—M/S Rajendra Institute of Education and Social Welfare को बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा पूर्व में पारित आदेश संख्या—BSDM/Domain(RFP)-108/2025-2602 दिनांक—27.11.2025, बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा निर्गत RFP NO.-165/2023 दिनांक—13.10.2023 के कंडिका—27.1 एवं मिशन के साथ की गई एकरारनामा की कंडिका 11 एवं Article-1 कंडिका 3.1 के आलोक में 2 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज किया गया।

2. संस्था—M/S Rajendra Institute of Education and Social Welfare द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में वाद संख्या—CWJC NO.-2581/2026 दायर की गई, जिसमें बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या—BSDM/Domain(RFP)-108/2025-2602 दिनांक—27.11.2025, को खारिज/निरस्त करने की माँग रखी गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक—18.02.2026 के न्यायादेश के कंडिका—4 में निम्नलिखित आदेश दिया गया—

"In view of above, order dated 27.11.2025 is set aside. The matter is remitted back to the authority concerned, who shall issue a fresh show-cause notice granting the petitioner liberty to file a reply thereto and, if necessary, afford a personal hearing to the petitioner before passing a final order in accordance with law."

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्रांक—1173 दिनांक—20.03.2026 के द्वारा पूछे गये fresh

show-cause notice के आलोक में M/S Rajendra Institute of Education and Social Welfare द्वारा कारण-पृच्छा का जवाब उपलब्ध कराया गया। साथ ही पत्रांक-1489 दिनांक-15.04.2026 एवं पत्रांक-1561 दिनांक-24.04.2026 के द्वारा संस्था- M/S Rajendra Institute of Education and Social Welfare को प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के साथ दिनांक-24.04.2026 एवं 04.05.2026 को बिहार कौशल विकास मिशन में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया है। इस सुनवाई में मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, मिशन प्रबंधक (समन्वय), मिशन प्रबंधक (आई०टी०), बिहार कौशल विकास मिशन, विनय कुमार SPMU,E&Y,श्री स्वपनील सुभाष माली तथा श्री चन्द्रमुनी प्रकाश हंनुवते, MKCL प्रतिनिधि तथा श्री अभिषेक कुमार, Director, M/S Rajendra Institute of Education and Social Welfare उपस्थित रहे।

4. बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा पूछे गये fresh show-cause notice के आलोक में M/S Rajendra Institute of Education and Social Welfare द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण दिनांक-30.03.2026 का अवलोकन किया। संस्था ने अभ्यावेदन में अपनी संस्था को काली सूची से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। संस्था द्वारा अपने अभ्यावेदन में निम्न बिन्दु उठाये गये हैं:-
- (क) उपस्थिति में कथित अनियमितता के संबंध में-
- संबंधित अवधि (अगस्त 24 से अक्टूबर 24) में समान चेक-इन/चेक-आउट समय का प्रदर्शन तकनीकी/सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन के कारण हो सकती है।
 - यह व्यवस्था BSDM/MKCL/E&Y के द्वारा संचालित नियंत्रित एवं प्रबंधित की जाती है।
 - संबंधित अवधि में विभागीय एजेंसियों द्वारा की गई नियमित मॉनिटरिंग में किसी प्रकार की अनियमितता चिन्हित नहीं की गई।
- (ख) AEBAS प्रणाली में उपस्थिति शून्य दर्शाने के संबंध में- AEBAS प्रणाली में उपस्थिति शून्य का प्रदर्शन डेटा अपलोड/नेटवर्क/सर्वर संबंधित तकनीकी समस्या के कारण हुआ प्रतीत होता है। इससे संबंधित वैकल्पिक साक्ष्य संस्था द्वारा पूर्व में ही मिशन को उपलब्ध कराया गया है।
- (ग) जियो-टैग्ड फोटो उपलब्ध न कराने के संबंध में- संस्था द्वारा जियो-टैग्ड फोटो पूर्व में समर्पित किया जा चुका है जो कि जाँच प्रतिवेदन में भी अंकित है।

- (घ) CCTV Footage उपलब्ध न कराने के संबंध में— संस्था द्वारा उपलब्ध CCTV Footage (निर्धारित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध) एवं अन्य साक्ष्य मिशन को पूर्व में ही उपलब्ध कराये गए है।
- (ङ) RFP Clause 6.4 का अनुपालन न किया जाना— निविदा में काली सूचीकरण के लिए प्रावधानित Clause 6.4 के आलोक में नोटिस, रिमाइंडर एवं सुधारात्मक अवसर प्रदान नहीं किया गया।
- (च) भेदभाव पूर्ण कार्रवाई— समान प्रकृति की कथित अनियमितता के लिए अन्य संस्था की केवल एकरारनामा निरस्त किया गया है तथा ब्लैकलिस्टिंग जैसी कठोर कार्रवाई नहीं की गई।
- (छ) MoU के प्रावधानों का उल्लंघन—एकरारनामा के Clause-3.1 एवं Clause-3.5 प्रावधान के आलोक में 30 दिनों की नोटिस एवं सुधारात्मक अवधि तथा व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर नहीं प्रदान किये गये।
- (ज) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन— उचित नोटिस, सुनवाई का अवसर एवं सुधार का समय दिये बिना ब्लैकलिस्टिंग की कठोरतम कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

5. संस्था द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न साक्ष्य भी अपने अभ्यावेदन के साथ दिये हैं:—
- (i) संस्था के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के माँग के आलोक में पूर्व में संबंधित साक्ष्य एवं तथ्य उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) DSM का विभिन्न तिथियों का निरीक्षण पुस्तिका एवं विजिट रिपोर्ट जिसमें संतोषजनक प्रतिवेदन अंकित है।

6. पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में अनियमितता से संबंधित अपना पक्ष रखने के आलोक में MKCL के प्रतिनिधि ने प्रतिवेदित किया है कि पूर्व में Letter Ref: P: MKCL: N-BDP: 2024-25: Dec/12 dated 12.12.2024 (सलग्न) संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई है।

इस प्रतिवेदन में किसी विशिष्ट संस्था का नाम इंगित नहीं है और न ही किस प्रकार से यह मैनिपुलेशन किया गया है, यह अंकित किया गया है।

7. Blacklisting के संबंध में डोमेन स्किलिंग योजना के लिए निर्गत निविदा में Blacklisting से संबंधित प्रावधान 6.4- Clause for Blacklisting of TPs निम्नवत है:-

“While the primary objective is to facilitate TPs in achievement of targets, but the TPs can default for Corrupt or Fraudulent Practices. First level of safeguard against such default by TP is continuous monitoring and consultative system which is already in place right till the district level. Notices shall be issued to the TPs regarding deficiencies detected at various stages. However, even notice and reminder(s), if a TP does not take remedial measure, a major step may be taken which might lead to blacklisting of the TP.”

8. साथ ही Termination of the Agreement से संबंधित कडिंका-27.1 में प्रावधान निम्नवत है:-

“Termination by Default: Department may, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, by a written notice of default of at least 30 days sent to the TP, terminate the Agreement in whole or in part (provided a cure period of not less than 30 days is given to the TP to rectify the breach):

- (a) The agreement may be terminated if it is discovered at any stage that the TP has been furnishing false claims or providing misleading information with respect to enrolment of*

trainees, conduct of training or any other aspect related to programme.

(b) If the TP, in the judgement of the Client, is found to be engaged in corrupt, fraudulent, collusive, or coercive practices in competing for or in executing the Agreement.

(c) If the TP commits breach of any condition of the Agreement.

(d) If department terminates the Agreement in whole or in part, Performance Guarantee shall be forfeited.”

9. बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संस्था के साथ किये गए एकरारनामा में Termination से संबंधित कंडिका-11 के प्रावधान निम्नवत है:-

“Both the parties shall honour the commitment already entered, square up all the outstanding in terms of finance, performance, etc. within a period of 30 days. Despite termination, the training partner shall abide by the usual professional ethics and normal code of conduct to maintain the confidentiality of the information and records in its possession or otherwise available to him.”

10. संस्था द्वारा उठाये गये विषयों/आधार के आलोक में संस्था के ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित मूल संचिका का अवलोकन किया। इसके साथ संस्था के संबंध में जाँच प्रतिवेदन, MKCL के प्रतिवेदन, संबंधित RFP/निविदा एवं संस्थान के साथ हुए एकरारनामे का अवलोकन किया। उपरोक्त अभिलेखों के अवलोकन से संस्था द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत पायी गयी है:-

(i) संस्था को विस्तृत जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है और उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में यह कही भी अंकित नहीं है कि किन-किन प्रशिक्षणार्थियों के

संबंध में अनियमितता पायी गयी है। संस्था के संबंध में दिये गये जाँच प्रतिवेदन में विशिष्ट मामलों का विवरण नहीं दिये जाने से संस्था के द्वारा कृत अनियमितता भी विशिष्ट रूप से स्पष्ट नहीं होती है।

- (ii) एकरारनामे की शर्तों के अनुसार संस्था को मात्र 15 दिनों का CCTV Footage रखना था तो संस्था के ऊपर कार्रवाई का आधार 15 दिनों से ऊपर की अवधि का CCTV Footage संरक्षित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।
- (iii) निविदा एवं एकरारनामा की निर्धारित शर्तें "पायी गई कमी/त्रुटि/अनियमितता के लिए 30 दिन का नोटिस अवधि, त्रुटि सुधार के लिए निर्धारित अवधि एवं स्मार" नहीं दी गई है। काली सूची में दर्ज किये जाने के संबंध में कार्यालय के पत्र के साथ संबंधित विभागीय जाँच समिति का प्रतिवेदन नहीं दी गई है।

जाँच कमिटी ने अपने मंतव्य में "उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि संस्था के द्वारा बायोमेट्रिक में छेड़छाड़ की गई है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस-किस प्रशिक्षणार्थियों के उपस्थिति के साथ छेड़छाड़ किया गया है। उक्त के आलोक में जाँच कमिटी द्वारा अनुशंसा की गई थी कि RFP के क्रमांक 27 Termination of Agreement के कंडिका 01 के आलोक में हस्ताक्षरित समझौते को रद्द किया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है"।

11. सुनवाई में उपस्थित मिशन के पदाधिकारियों ने संस्था के द्वारा उपलब्ध कराये गए अभ्यावेदन पर बिन्दुवार संवीक्षा के उपरांत संस्था के विरुद्ध काली सूची में डाले जाने वाले आदेश पर पुनःविचार का मन्तव्य दिया। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य सही है और संस्था का एकरारनामा पूर्व में रद्द किया जा चुका है।

- 12.(i) इस संबंध में महाधिवक्ता बिहार के पत्रांक-9555 दिनांक-03.04.2026 के द्वारा उपलब्ध कराई गई वाद CIVIL APPEAL NO(S)..... OF 2026 (ARISING OUT OF SLP(C)NO. 23858 OF 2025) M/S A.K.G. CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PVT.LTD. VERSUS STATE OF JHARKHAND & ORS. में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायादेश की कंडिका-19 निम्नवत् है-

*"The requirement under Clause 10.5
is a clear case of legislative (in this
case subordinate legislation)*

incorporation of principles of natural justice. This Court has time and again emphasised the need to adhere to principles of natural justice while passing blacklisting orders, given the grave consequences that follow."

(ii) *In Erusian Equipment & Chemicals Ltd. V. State of West Bengal* में माननीय उच्चतम न्यायालय ने observe किया है कि—

20. *"Blacklisting has the effect of preventing a person from the privilege and advantage of entering into lawful relationship with the Government for purposes of gains. The fact that a disability is created by the order of blacklisting indicates that the relevant authority is to have an objective satisfaction. Fundamentals of fair play require that the person concerned should be given an opportunity to represent his case before he is put on the blacklist."*

(iii) *Blacklisting* के पूर्व Show Cause Notice की आवश्यकता के संबंध में वाद संख्या:(2021) 2 SCC 551 *UMC Technologies Pvt. Ltd. V Food corporation of India* वाद में न्यायालय ने माना है कि—


13. *“At the outset, it must be noted that it is the first principle of civilised jurisprudence that a person against whom any action is sought to be taken or whose right or interests are being affected should be given a reasonable opportunity to defend himself. The basic principle of natural justice is that before adjudication starts, the authority concerned should give to the affected party a notice of the case against him so that he can defend himself. Such notice should be adequate and the grounds necessitating action and the penalty/action proposed should be mentioned specifically and unambiguously. An order travelling beyond the bounds of notice is impermissible and without jurisdiction to that extent.”*

का निर्णय दिया है, जो इस विषय में पूर्ण रूप से प्रासंगिक प्रतीत होता है।

13. उपरोक्त विवेचना एवं तथ्यों के आलोक में निविदा की कंडिका: 6.4 Clause for Blacklisting of TPs: का अनुपालन नहीं किये जाने, संस्था— M/S Rajendra Institute of Education and Social Welfare को त्रुटिपूर्ण अपठनीय जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, अनियमितता के संबंध में स्पष्ट एवं तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा इस परिस्थिति में जब मिशन के पदाधिकारियों के द्वारा जब संस्था के अनियमितता हेतु एकरारनामा को रद्द किया जा चुका है और संबंधित मामले में संस्था को लगभग छः महीने से काली सूची में दर्ज किया गया है

तो एकरारनामा एवं निविदा के शर्तों के आलोक में बिना विशिष्ट प्रकार के अनियमितता अंकित किये और बिना प्रक्रियाओं का अनुपालन किये तथा संस्था को उनके विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड एवं इनके विरुद्ध आरोपों के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिये जाने के आलोक में अविधिक एवं अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में गैर समानुपातिक रूप से संस्था को काली सूची में दर्ज रखे रहना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव बिहार कौशल विकास मिशन के पत्रांक-2602 दिनांक-27.11.2025 द्वारा लागू काली सूची में दर्ज करने संबंधित आदेश सम्यक विचारोपरांत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।


सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक-BSDM/विधि-56/2026 1653

पटना दिनांक- 09.05.2026

प्रतिलिपि-संस्था-M/S Rajendra Institute of Education and Social Welfare को सूचनार्थ प्रेषित।

2. Team Leader TBA, Finance Team BSDM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार, एवं कौशल विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ।
5. सभी विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।


मिशन निदेशक

बिहार कौशल विकास मिशन,
बिहार पटना